प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला : **A.C.B O.P. Siu Jaipur थानाः C.P.S,A.C.B. Jaipur** ...वर्ष 2022
प्र0इ0रि0 सं. ....55 /2022.....दिनांक.....22/12/22

2. (I) अधिनियम धाराये. 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018

(II) *अधिनियम .... धारायें .....

(III) *अधिनियम ..... धारायें .....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .....478..... समय .....6-30 P.M.

(ब) अपराध घटने का दिनांक 18.02.2022 से लगातार

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 18.02.2022

4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक लिखित

5. घटनास्थल :– नया थाना परिसर कोटखावदा

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– दक्षिणपूर्व में करीब 47 कि0मी0

(ब) *पता : .....बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

पुलिस थाना .....जिला .....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम – श्री रामराय मीना
(ब) पिता/पति का नाम –श्री भौरी लाल मीना
(स) जन्म तिथि/वर्ष .....44 साल.....
(द) राष्ट्रीयता .भारतीय.....
(य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि .
जारी होने की जगह .....
(र) व्यवसाय .– खेती
(ल) पता – निवासी गांव परमानन्दपुरा उर्फ मण्डालिया तहसील कोटखावदा जिला जयपुर

ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–

1. श्री जगदीश प्रसाद तंवर पुत्र श्री भंवर लाल जाति माली उम्र 55 साल निवासी 113/6, विजय पथ, मानसरोवर, जयपुर स्थाई पता–ग्राम नलियाबास, सुजानगढ़, गोपालपुरा रोड़, चूरू हाल पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी थाना कोटखावदा जिला जयपुर(दक्षिण), जयपुर।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–..कोई नहीं.....

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)... रिश्वती राशि 50,000/– रूपये

10. * चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य ..रिश्वती राशि 50,000/– रूपये

11. * पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

दिनांक 18.02.2022 श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रनिब्यूरो ने मुझ उप अधीक्षक पुलिस को अपने कक्ष में बुलाया व उनके कक्ष में पूर्व से उपस्थित परिवादी श्री रामराय मीना पुत्र श्री भौरी लाल मीना उम्र 44 साल निवासी गांव परमानन्दपुरा उर्फ मण्डालिया तहसील कोटखावदा थाना कोटखावदा जिला जयपुर व श्री धर्मेन्द्र सिंह मीणा पुत्र कल्याणमल मीणा उम्र 32 साल निवासी गांव बिहारीपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा के रूप में परिचय कराया व परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट–कि मैं रामराय मीणा पुत्र श्री भौरी लाल मीणा ग्राम परमानन्द पुरा उर्फ मंडालिया तहसील कोटखावदा का रहने वाला हूं। मेरे खिलाफ थाना कोटखावदा में मु0न0 111/2018 धारा 365,342,323, आर मसेट में मुकदमा दर्ज हो रखा है मुझे इस मुकदमें में 9/12/21 को थाना अधिकारी ने गिरफ्तार किया था इस मुकदमें में एसएचओ ने मैरी व बाकी बचे हुए तीन मुल्जिमों की मदद करने के नाम पर एसएचओ श्री जगदीश जी ने मुझे 50,000 रूपयें मांगे जब मैनें कम करने के लिए कहा तो 35,000 हजार रूपयें रिश्वत के मांगे उसके बाद में उस मुकदमें में जेल चला गया था उसके बाद में 14/2/22 को जेल से बाहर आया हूं अब एसएचओ मुझ से रिश्वत के के 35,000 रूपयें मांगेगा मैं उसको रिश्वत नहीं देना चाहता उसको रिश्वत लेते रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं रिश्वत लेने मे थाने के दो सिपाही सुरेश चौधरी तथा बिजेन्द्र भी एसएचओं के सहयोगी है इन लोगों से मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। उपरोक्त आशय की प्रस्तुत रिपोर्ट मुझ उप अधीक्षक पुलिस कमल नयन के नाम पृष्ठांकन कर आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश प्रदान करने पर मन उप अधीक्षक उक्त दोनों व्यक्तियों को अपने कक्ष में लेकर आया और परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के बारे में पूछा तो परिवादी ने स्वयं द्वारा हस्तलिखित होना बताया एवं मजिद दरियाफ्त पर बताया कि मैनें कोटखावदा थाने में 171/2016 व 112/2018 दर्ज करवाया था तथा मेरे खिलाफ 111/2018 मुकदमा दर्ज किया हुआ है मेरे द्वारा दर्ज कराये हुए उक्त दोनों मुकदमों में एफआर लगाकर दिसम्बर 2021 में कोर्ट में भेज दी तथा मेंरे खिलाफ दर्ज मु0न0 111/2018 में मुझे गिरफ्तार कर दिनांक 09.12.2021 को जेल भेज दिया था इस मुकदमें में तीन मुल्जिम ओर गिरफ्तार होना बाकी है जिनमें दो तो मेरे भतीजे व एक मेरे जीजाजी है उस मुकदमें में मेरी व बाकी तीन बचे हुए लोगों की मदद करने के नाम पर थानाधिकारी श्री जगदीश जी ने रिश्वत के 35,000/रूपयें मेरा पुलिस रिमाण्ड नहीं लेने के लिये दिनांक 09.012.2021 को मांगे। उसके बाद दिनांक 09.12.2021 को मुझे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था तथा मेरा पुलिस रिमाण्ड नहीं लिया। उसके बाद मैं जेल चला गया और दिनांक 14.02.2022 को जेल से जमानत पर बाहर आया। दिनांक 15.02.2022 को मैं मेरा जप्त मोबाईल लेने के लिये थाना कोटखावदा गया था और मेरा मोबाईल लेकर घर आ गया था। उसके बाद दिनांक 16.02.2022 को मैं कोर्ट से मेरी गाड़ी बोलेरो आरजे 14 यूई 7402 को छुड़ाकर थाना कोटखावदा से छुड़ा कर ले आया था। उसके बाद आज सुबह 10.30 बजे मेरे मोबाईल पर थानाधिकारी श्री जगदीश जी को फोन आया और मुझे थाने पर बुला रहे है। मुझे शक है कि दिनांक 09.12.2021 को थानाधिकारी द्वारा मांगी गई रिश्वत के संदर्भ में मुझे बुला रहे है। मैं श्री जगदीश जी को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं इसलिये थाने ना जाकर सीधे आपके पास आ गया। चूंकि परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं दरियाफ्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाने पर रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने पर कार्यालय से श्री पन्नालाल कानि 09 को बुलाया जाकर परिवादी व पन्नालाल का आपस में परिचय करवाया गया व कार्यालय की आलमारी से डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर निकालकर परिवादी को चालू व बन्द करने की विधि समझाई जाकर मुनासिब हिदायत देकर सत्यापन हेतु रवाना किया गया। कुछ समय बाद श्री पन्नालाल कानि मय परिवादी श्री रामराय मीना मय श्री धर्मेन्द्र सिह मीना के उपस्थित कार्यालय आया। श्री पन्नालाल कानि0 ने अपने पास से वाईस रिर्कोडर मन पुलिस उप अधीक्षक को दुरस्त हालत में सुपुर्द करते हुये बताया कि कार्यालय से रवाना होकर कोटखावदा पहुंचे। जब हम कोटखावदा जा रहे थे तो रास्ते में संदिग्ध आरोपी का फोन परिवादी के फोन पर आया व कहा कि मैं अभी क्वार्टर पर ही हूं तो तुम क्वाटर पर ही आ जाना। इस पर हम कोटखावदा तहसील के सामने पहुंचे और मैंने वाईस रिकोर्डर परिवादी को चालू करके दे दिया था। उसके बाद परिवादी संदिग्ध आरोपी के बताये गये क्वार्टर पर पहुंचा। मैं अपनी उपस्थिति छुपाते हुये संदिग्ध आरोपी के क्वार्टर के आस पास छुपाव हासिल करते हुये परिवादी पर नजर रखे मुकिम हुआ। थोडी देर बाद परिवादी संदिग्ध आरोपी के क्वार्टर से बाहर मेरे पास आया और रिकार्डर मुझे चालू हालत में दिया जिसको मैंने बंद करके अपने पास रखा। वहां से रवाना होकर हम एसीबी कार्यालय आये। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से पूछने पर परिवादी ने श्री पन्नालाल कानि0 की बाद की ताईद करते हुये बताया कि कोटखावदा पहुंचने के बाद तहसील के पास से श्री पन्नालाल जी ने मुझे रिकोर्डर चालू करके दे दिया था। वहां से मैं आरोपी थानाधिकारी के क्वार्टर के बाहर पहुंच कर मैंने थानेदार जी के फोन पर घंटी की तो वो क्वार्टर से बाहर आ गये थे। फिर वहीं क्वार्टर के बाहर रखी कुर्सियों पर थानेदार जी बैठ गये और एक कुर्सी लेकर मैं भी बैठ गया। उसके बाद थानेदार जी से मैंने मेरे काम की बात की तो थानेदार जी ने मेरे काम के लिये मुझसे 50,000 /–रूपये मांगे और कहा कि रविवार को लेकर आ जाना मैं तेरे भतीजो की पूरी मदद करूंगा। ये सारी बात मैंने वाईस रिकोर्डर में रिकार्ड कर ली है। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने डिजिटल वाईस रिकार्डर को कम्प्यूटर द्वारा सरसरी तौर पर सुना गया तो संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी के काम की एवज में 50 हजार की मांग करना पाया गया है। उक्त वाईस रिर्कोडर को सुरक्षित कार्यालय की आलमारी में रखवाया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को उक्त रिश्वती राशि की व्यवस्था कर रविवार को सुबह कार्यालय में आने की हिदायत कर रूकसत किया गया। दिनांक 20.02.2022 को पूर्व से तलविदा स्वतंत्र गवाहान श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री प्रभुदयाल जाति–रैगर, उम्र 39 साल, निवासी प्लॉट नम्बर 21 मानसिंहपुरा, रैगर बस्ती, टोंक रोड़, जयपुर हाल– आशु लिपीक, इकाई कार्यालय रिको, मालवीय नगर जयपुर व